राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या **5939/2024**

राजकुमार पुत्र श्री दलीप कुमार, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर 1, 16 डीपीएन, रामगढ़, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राज.

----अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।
5. संभागीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़।
7. प्रोपराइटर, परमोद एंड कंपनी, नोहर, वार्ड नंबर 20, महावीर पार्क के पास, नोहर जिला हनुमानगढ़, राज।

----प्रतिवादीगण

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6026/2024

अजय कुमार पुत्र राम प्रताप, उम्र लगभग 25 वर्ष, वार्ड नंबर 9, 16 डीपीएन, रामगढ़, तहसील नोहर, जिला हनुमानगढ़, राज.

----याचिकाकर्ता

बनाम

1. राजस्थान राज्य, प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर के माध्यम से।
2. निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
3. निदेशक (सार्वजनिक स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, हनुमानगढ़।

5. संभागीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ़।

6. वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी, राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, रामगढ़।

7. सवेरा इंटरप्राइजेज, नोहर, वार्ड नंबर 16, जोगियासन, नोहर जिला हनुमानगढ़, राज.

अपीलार्थी(गण) के लिए : श्री पवन भारती

प्रतिवादी(गण) के लिए :

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

रिपोर्ट करने योग्य

15/04/2024

1. चूंकि उपर्युक्त दोनों रिट याचिकाओं में शामिल मुद्दे और तथ्य समान हैं, इसलिए दोनों का निर्णय इस सामान्य आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. याचिकाकर्ताओं की शिकायत दिनांक 29.03.2024 (सीडब्ल्यू-5939/2024 में अनुलग्नक 4) और 31.03.2024 (सीडब्ल्यू-6026/2024 में अनुलग्नक 3) के आदेशों से उत्पन्न हुई है, जिसके अनुसार याचिकाकर्ताओं की सेवाएं क्रमशः डीडीसी हेल्पर और स्वास्थ्य सलाहकार के पदों से इस आधार पर समाप्त कर दी गई थीं कि उनकी संविदा अवधि समाप्त हो गई थी।

3. मामले के प्रासंगिक तथ्य यह हैं कि राजस्थान राज्य सरकार ने पूरे राज्य में 'मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना' (एमएनडीवाई) और 'मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना' (एमएएवाई) शुरू की है। उक्त योजनाओं के तहत कंप्यूटर मैनपावर (मशीन के साथ आदमी) और स्वास्थ्य सलाहकारों की तैनाती की जानी है।

3.1 उपर्युक्त परियोजनाओं के अनुसरण में, प्रतिवादियों ने अपने पत्रों दिनांक 10.08.2023 और 04.07.2023 के माध्यम से वर्तमान याचिकाकर्ताओं को डीडीसी हेल्पर/स्वास्थ्य सलाहकार के पद पर रखा। तब से, याचिकाकर्ता प्रतिवादी विभाग के साथ सेवा कर रहे हैं, और उनकी सेवाएं संतोषजनक रही हैं। याचिकाकर्ताओं को पीएफ की कटौती के बाद नियमित रूप से उनके बैंक खातों में वेतन का भुगतान किया जाता रहा है।

3.2. इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 6 ने प्रतिवादी संख्या 7 को दिनांक 29.03.2024 को एक पत्र भेजा, जिसमें कहा गया कि याचिकाकर्ताओं की सेवाओं की अनुबंध अवधि 31.03.2024 को समाप्त होने जा रही थी। इस प्रकार, 07.03.2024 को आयोजित आरएमआरएस की बैठक में, जनशक्ति (डीडीसी हेल्पर/ स्वास्थ्य सलाहकार) की अनुबंध अवधि को आगे नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, प्रतिवादी संख्या 7 को 31.03.2024 से डीडीसी हेल्पर/स्वास्थ्य सलाहकार के पदों से याचिकाकर्ताओं की सेवाएं समाप्त करने का निर्देश दिया गया।

3.3. इस प्रकार दिनांक 29.03.2024 (सी.डब्लू.-5939/2024 में अनुलग्नक 4) और 31.03.2024 (सी.डब्लू.-6026/2024 में अनुलग्नक 3) के पत्रों के माध्यम से, प्रतिवादी विभाग और प्लेसमेंट एजेंसी द्वारा याचिकाकर्ताओं को कोई नोटिस या अवसर दिए बिना उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं। इसलिए, वर्तमान रिट याचिकाएँ।

4. इस पृष्ठभूमि में, मैंने याचिकाकर्ता के विद्वान वकील को सुना है और केस फाइल का अवलोकन किया है।

5. औपचारिक नोटिस जारी करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया है, क्योंकि जिस आदेश को मैं पारित करने का प्रस्ताव करता हूँ, उसकी प्रकृति से प्रतिवादियों को कोई पूर्वाग्रह नहीं होगा।

6. याचिका के साथ संलग्न अभिलेख से यह स्थिति उभर कर सामने आती है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा पारित दिनांक 28.03.2024 के कार्यालय आदेशों (सी.डब्लू.-5939/2024 में अनुलग्नक 5 एवं सी.डब्लू.6026/2024 में अनुलग्नक 4) द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाती, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा। चूंकि उनके पास स्वयं के दस्तावेज हैं, इसलिए प्रतिवादी उक्त दो अनुलग्नकों को अस्वीकार नहीं कर सकते।

7. और फिर भी, दिनांक 29.03.2024 (सीडब्ल्यू-5939/2024 में अनुलग्नक 4) और 31.03.2024 (सीडब्ल्यू-6026/2024 में अनुलग्नक 3) के बाद के कार्यालय आदेशों द्वारा, याचिकाकर्ताओं की सेवाओं को इस आधार पर समाप्त कर दिया गया कि उनकी संविदा अवधि 31.03.2024 को समाप्त हो गई थी।

8. मेरे गहन विचार करने के बाद, और जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए, जो प्रभावित होंगे, क्योंकि अस्पताल में उपयुक्त जनशक्ति आवश्यक है, मेरा मानना है कि सीएमएचओ ने सही दृष्टिकोण अपनाया है। तदनुसार, उन्होंने

सक्षम प्राधिकारी होने के नाते आवश्यक और न्यायोचित प्रशासनिक आदेश पारित किए थे।

9. परिणामस्वरूप, दोनों याचिकाएँ स्वीकार की जाती हैं। दिनांक 29.03.2024 (सीडब्ल्यू-5939/2024 में अनुलग्नक 4) और 31.03.2024 (सीडब्ल्यू-6026/2024 में अनुलग्नक 3) के आक्षेपित आदेश बिना सोचे-समझे और सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अस्पताल के संचालन और प्रबंधन के व्यापक हित के विरुद्ध पारित किए गए प्रतीत होते हैं। तदनुसार, उन्हें रद्द किया जाता है।

10. याचिकाकर्ताओं को इस तत्काल आदेश की वेब-प्रिंट प्रति के साथ सक्षम प्राधिकारी से संपर्क करने पर तत्काल प्रभाव से संबंधित पदों पर पुनः कार्यभार ग्रहण करने की अनुमति दी जाएगी।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि यहां दिए गए आदेशों को रद्द करना कानून के अनुसार नए आदेश पारित करने में बाधा के रूप में नहीं माना जाएगा, यदि पदों पर नियमित नियुक्ति की कोई परिकल्पना है या यदि याचिकाकर्ताओं की सेवाएं असंतोषजनक पाई जाती हैं, या यदि प्रश्नगत पदों पर काम की कोई आवश्यकता नहीं है।

(अरुण मोंगा),जे

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" के जरिये अनुवादक की सहायता से किया गया है ।
अस्वीकरण - यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा मे अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा एवं निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।